फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री बंशीलाल पुत्र श्री लादुलाल गुर्जर नि. कुंदवा तहसील देवगढ जिला राजसमंद
— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा—अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 57/2022**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.09.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ द्वारा जरिये कमांकः सू.अ.अ. /2022/132—33 दिनांक 01.09.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ द्वारा तैयार कर अपीलार्थी श्री बंशीलाल गुर्जर को पत्रांकः सू.अ.अ./2022/74 दिनांक 4.8.2022 से प्रतिलिपि शुल्क 28/— जमा कराने हेतु लिखा जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क जमा नहीं कराने से सूचना नहीं दी जा सकी है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ द्वारा तैयार कर अपीलार्थी श्री बंशीलाल गुर्जर को प्रतिलिपि शुल्क 28/—रू. जमा कराने हेतु लिखा जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क जमा नहीं कराने से सूचना उपलब्ध नहीं दी गई है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी श्री बंशीलाल गुर्जर को 15 दिवस के अंदर अंदर प्रतिलिपि शुल्क 28/—रू. जमा कराने हेतु सूचना प्रोसेज सरवर के माध्यम से तामिल करवाई जाना/रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जाना सुनिश्चित करते हुए प्राप्ति रसीद अभिलेख में सुरक्षित रखी जावे। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ को भिजवायी जावे। **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)